न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / याचिका / 10 / 2008

1—बैजनाथ गोयल पुत्र स्व0 हजारीलाल गोयल जाति वैश्य निवासी भरतपुर
2—श्रीनिवास गोयल पुत्र स्व. हजारीलाल गोयल (मृतक) जाति वैश्य निवासी
2 / 1. श्रीमति साधना पत्नी स्व. श्रीनिवास गोयल
2 / 2. कृष्ण कुमार गोयल पुत्र स्व. श्रीनिवास गोयल } जाति वैश्य निवासी मकान नं. बी—2, रणजीत नगर, भरतपुर
2 / 3. नलिनी गोयल पुत्री स्व. श्रीनिवास गोयल
2 / 4. प्राची सिंघल पत्नी श्री पंकज सिंघल पुत्री श्रीनिवास गोयल मकान नं. सी—904 एक्सोटिका, ईस्ट स्क्वायर अपार्टमेन्ट, अहिंसा खण्ड, फेज—2 इन्द्रापुरम, गाजियाबाद हाल निवासी बी—2, रणजीत नगर, भरतपुर
2 / 5. शिप्रा मित्तल पत्नी श्री दाऊ मित्तल पुत्री श्री निवास गोयल, मकान नं 36, सीताराम कॉलोनी ,बलकेश्वर आगरा हाल निवासी मकान नं. बी—2, रणजीत नगर, भरतपुर
3— विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री हजारीलाल गोयल
4— अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री हजारीलाल गोयल
5— रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री हजारीलाल गोयल

.....प्रार्थीगण

बनाम

1—परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (परियोजना इकाई) नेशनल हाइवे—11, दौसा (राज0)
2—भूमि अवाप्ती अधिकारी ऑरियन्टल कम्पनी किलोमीटर 42525 से 63000 आगरा — भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
1—श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री दीपक शर्मा एन.एच.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

याचिका अन्तर्गत धारा 3—जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी इस आशय का पेश किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर

1577 रकबा 0.33 हैक्टेयर चक नं0 1 कस्बा भरतपुर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जिसका पुराना खसरा नं0 1206 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा था। जिसका हाल बन्दोबस्त नं 1577 बना है। खसरा नं0 1577 का पुराना खसरा नं0 1206 की किस्म जमीन आबादी है। प्रार्थीगण द्वारा कुल 49 बीघा व 1 बिस्वा में से जो जमीन विक्रय कर दी है और बाद शेष जमीन की क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भूमि की बजारू कीमत वक्त अवाप्ति सूचना करीब 5000/– प्रति वर्गगज दर निर्धारित है और इसी दर पर भूमि की कीमत मानकर भूमि की कीमत मानकर उपपंजीयक भरतपुर द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। इसलिए इस भूमि की कीमत 5000/– प्रति वर्गगज की दर से एक करोड़ 81 लाख 50 हजार रु. राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

हजारी लाल जी का स्वर्गवास दि0 16.02.2006 को हो चुका है और प्रार्थीगण उनके बेटे व वारिसान हैं। इसलिए हजारीलाल जी के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज कराकर हजारीलाल के हिस्से की राशि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को एक करोड़ 81 लाख 50 हजार रु. व इस पर 10 प्रतिशत राशि विशेष मुआवजा दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किये गये जो शामिल पत्रावली हैं। अप्रार्थी एन. एच. की ओर लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1577 रकवा 0.33 हैक्ट0 चक नं0 1 कस्बा भरतपुर एवं पुराना खसरा नं0 1206 की किस्म जमीन आबादी बादीगण द्वारा कुल 49 बीघा 1 बिस्वा में से जो जमीन विक्रय कर दी उसको छोडकर शेष जमीन की क्लेम राशि दिलायी जावे। एवं केन्द्र सरकार ,भारत ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.08.2015 द्वारा धारा 105(3) की शक्ति Right to Fair Compensation Act 2013 का प्रयोग कर "Right to Fair Compensation Act Land Acquisition, Rehabilitition and Resettlement (Removal of Difficulties) oreder 2015 " जारी प्रभारी तारीख 01.09.2015 से Right to Fair Compensation Act 2013 के शैडयूल 4 में वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत आवप्त की गयी भूमि के मुआवजा राशि के लाभ देय होंगे। आवप्त भूमि बजारू दर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि 1 वर्ष के लिए 12 प्रतिशत स्पेशल मुआवजा प्लस 9 प्रतिशत एक वर्ष की ब्याज 15 प्रतिशत अवाप्ति की एक वर्ष बाद से कुल मुआवजा राशि पर तय अदायगी पर 15 प्रतिशत ब्याज देय है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी 1,2,3,4,5 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से मुआवजा अवार्ड का भुगतान अप्रार्थी हक में जारी कर दिया है। भूमि अवाप्ती अधिकारी ने हमारी आपत्ति को खारिज कर

दिया है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अवाप्त शुदा आराजी का मुआवजा वाणिज्यक दर से भुगतान कराये जाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. का कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत जबाब को बहस ट्रीट किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. ने अपने तर्को में जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी एस.डी.ओ. ने आराजी खसरा नम्बर 1577 रकवा 0.33 हैक्ट0 चक नं0 1 कस्बा भरतपुर एवं पुराना खसरा नं0 1206 किस्म जमीन भूमि नेशनल हाईवे के विस्तार हेतु अवाप्त की गई है। एन.एच.एक्ट की धारा 3जी(7) के निर्देशों की पालना में विधिवत कार्यवाही करते हुये मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी का अवाप्त शुदा भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है। मुताविक राजस्व अभिलेख में दर्ज हितबद्ध खातेदारों के हक में मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी को अवार्ड को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और नाही किसी प्रकार की अवार्ड राशि प्राप्त करने का हकदार रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के स्वामित्व निर्धारण का बिन्दू है, स्वामित्व निर्धारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उनका यह भी तर्क है कि विधि के प्रावधानुसार श्रीमान को मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर एवं मनन किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 1577 रकवा 0.30 है. नेशनल हाईवे के चौड़ी करण के लिये अवाप्त की गई है, जिसका मुआवजा का भुगतान कराया जावे। पत्रावली में उपलब्ध भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) भरतपुर की तथ्यात्मक प्रतिवेदन में अंकित किया है कि –

> ".....आरवीटेशन याचिकाओ के सम्बन्ध में निवेदन कि ख.न. 1577 / 0.30 है0 स्थित भरतपुर न.1 को एन.एच. 11 आगरा–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन सड़क चौडीकरण के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर अवाप्ति से मुक्त करने लिये कार्यकारी कम्पनी ओरियंटल पाथवेज के प्रस्ताव अनुसार डिनोटिफिकेशन के लिये परियोजना निदेशक रा.रा.प्रा. दौसा को पत्रांक 134 दिनांक 29.12.08 लिख दिया गया है। इसलिये जब वादग्रस्त भूमि को अवाप्ति से ही मुक्त रखा जा रहा है तो उस भूमि पर कोई विवाद बिन्दु ही नहीं रह जाता.....।"

उपरोक्त भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) भरतपुर की तथ्यात्मक प्रतिवेदन से जाहिर है कि विवादित भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखा गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे इस रिपोर्ट को अविश्वसनीय माना जा सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण

किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र याचिका प्रार्थीगण काबिल खारिज के है।

अतः आदेश है कि :

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (याचिका) खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official